तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत
23/2/21	वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/2/21 को पेश हो।
24/2/21	वकील प्रार्थीगण उप०। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी सपोटरा, जिला- करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारी- ओमप्रकाश मीना, आर.ए.एस.

मु०न०	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
07 / 2019	2019 / 00154	17-01-2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. आम बस्ती खेडला जरिए प्रार्थीगण
2. मुकेश कुम्हार पुत्र रामप्रसाद
3. कल्लू योगी पुत्र भोरया
4. रामखिलारी पुत्र भोला प्रजापत
5. मुकेश शर्मा पुत्र रामकेश शर्मा
6. गोपाल सिंह पुत्र पूरण सिंह राजपूत
7. दीनबंधु शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा
8. कमलेश देवी पत्नी सतेन्द्र जी
9. मानसिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत
10. दिनेश जाँगिड़ पुत्र रामजीलाल जाँगिड़
11. रामजीलाल पुत्र भोरया प्रजापत

निवासी खेडला , तहसील- सपोटरा जिला- करौली राज०

- वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पाल पुत्र चंदनपाल
2. रमेश पाल पुत्र चेतनपाल राजपूत
3. रामकिशन बैरवा पुत्र मनसुखा बैरवा
4. श्रीलाल पुत्र हीरया बैरवा
5. चिरंजी बैरवा पुत्र हीरया बैरवा
6. शंकर बैरवा पुत्र नाथया बैरवा
7. गुलाब मीना पुत्र नंदा मीना
8. घमंडी मीना पुत्र नंदा मीना
9. पंखी पुत्र नंदा मीना
10. विमल मीना पुत्र नंदा मीना

निवासी खेडला , तहसील- सपोटरा, जिला- करौली राज०

- प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री कमरपाल मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री शेर सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय **24 .02.2021**

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 17-01-2019 को इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा न० 608 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा न० 603 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा खसरा न० 604 रकबा 10 बिस्वा खसरा न० 605 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा न० 610 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा खसरा न० 611 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा खसरा न० 299रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा व खसरा न० 613 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है जिसकी सबूतन जमाबंदी सम्बत 2072-75 मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उक्त आराजीयात मे होकर आबादी से गुजरता हुआ कदीमी 15 फुट चौड़ा आम रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर गुजर रहा है तथा रास्ता चरीकाल से बना हुआ है उक्त रास्ते मे होकर आवागमन के संसाधन एवं आवागमन होता रहता है तथा उक्त रास्ते से होकर ही सरकारी स्कूल का रास्ता है जिसमे पढने वाले बच्चे इसी रास्ते से होकर आवागमन करते है उक्त रास्ते मे होकर ही आना जाना होता है तथा अन्य कोई आवागमन व आने जाने का कोई

Scanned with CamScanner

रास्ता नहीं हैं उक्त रास्ते को नक्शे ट्रेस मे रंग सुर्ख मे दर्शाया गया है जो कि नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार उक्त रास्ते को 08-01-2019 को अप्रार्थी गण द्वारा बंद कर दिया गया हैं अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण को रास्ते मे होकर गूजरने नहीं दे रहे हैं तथा आम रास्ते मे जमा कीचड़ एवं पानी को अप्रार्थीगण साफ नही करने देते है तथा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा आम रास्ते मे पक्का निर्माण नहीं करने देते है ऐसे हालात मे हम गाँव वालों एवं दूर दराज के गाँव वालों को आवागमन मे भारी परेशानी हो रही हैं तथा अप्रार्थीगणो को हम प्रार्थीगण ने हाथ जोड़कर काफी समझाया लेकिन अप्रार्थीगण झगड़ा फसाद करने पर आमदा हैं तथा रास्ते के आवागमन को सुचारु रूप से खोलने को तैयार नहीं है जिसकी शिकायत श्रीमान जी को जरिए प्रार्थना पत्र अवगत करा चुके हैं यदि अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते को सुचारु रूप से चालू नहीं कराया गया एवं उनके अवरुद्ध को नहीं हटाया गया तो हम प्रार्थीगण एवं आमजन को भारी परेशानी होगी इसलिए आम रास्ते से अप्रार्थीगणो के अवरुद्ध को हटाया जाना न्यायहित मे आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र के अंत मे प्रार्थीगण ने मुताबिक नज़री नक्शे के आम रास्ते से अप्रार्थीगण के अवरुद्ध को हटाया जाकर सुचारु करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अहलमद से रिपोर्ट ली गई एवं प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टरकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए सम्मन जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6, 10 की ओर से वकील ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 7 लगायत 9 की ओर से मेमो पेश किया। तत्पश्चात तारीख पेशी दिनांक 3-2-2020 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 7 लगायत 9 के गैरहाजिर व वकालतनामा पेश नहीं करने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अन्य अप्रार्थीगण3, 4, 6, 10 की ओर से लगभग 20 माह बीत जाने पर भी भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध मे सीधे बहस करने का निवेदन किया। अतः दिनांक 9-2-2021 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में सीधे ही बहस करने का निवेदन करने पर प्रकरण मे बहस की दिनांक 23-02-2021 नियत की गई।

बहस दिनांक 23-02-2021 को अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित आए एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं० 608 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नं० 603 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं० 604 रकबा 10 बिस्वा खसरा नं० 605 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं० 610 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं० 611 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं० 299 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नं० 613 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मे होकर आबादी से गुजरता हुआ कदीमी 15 फुट चौड़ा आम रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर गुजर रहा है तथा रास्ता चरीकाल से बना हुआ है उक्त रास्ते मे होकर आवागमन के संसाधन एवं आवागमन होता रहता है तथा उक्त रास्ते से होकर ही सरकारी स्कूल का रास्ता है जिसमे पढने वाले बच्चे इसी रास्ते से होकर आवागमन करते है उक्त रास्ते मे होकर ही आना जाना होता है तथा अन्य कोई आवागमन व आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं उक्त रास्ते को नक्शे ट्रेस मे रंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो कि नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त रास्ते को 08-01-2019 को अप्रार्थी गण द्वारा बंद कर दिया गया हैं अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण को रास्ते मे होकर गूजरने नहीं दे रहे हैं तथा आम रास्ते मे जमा कीचड़ एवं पानी को अप्रार्थीगण साफ नहीं करने देते है तथा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा आम रास्ते मे पक्का निर्माण नहीं करने देते है ऐसे हालात मे हम गाँव वालों एवं दूर दराज के गाँव वालों को आवागमन मे भारी परेशानी हो रही हैं तथा अप्रार्थीगणो को हम प्रार्थीगण ने हाथ जोड़कर काफी समझाया लेकिन अप्रार्थीगण झगड़ा फसाद करने पर आमदा हैं तथा रास्ते के आवागमन को सुचारु रूप से खोलने को तैयार नहीं हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते को सुचारु रूप से चालू नहीं कराया गया एवं उनके अवरुद्ध को नहीं हटाया गया तो हम प्रार्थीगण एवं आमजन को भारी परेशानी होगी इसलिए मुताबिक नज़री नक्शे के आम रास्ते से अप्रार्थीगणो के अवरुद्ध को न्यायहित मे हटाया जाकर आवागमन सुचारु किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण संबंधी विधिक प्रावधानों पर विचारण किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मे उल्लेखित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है –

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.(1) Where -

Scanned with CamScanner

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है किराजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के तहत एक खातेदार अपनी जोत पर पहुचने एवं सिंचाई के प्रयोजन के लिए अन्य खातेदार की जोत से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक साधन अथवा मार्ग के अभाव सिद्ध होने पर ही अन्य खातेदार की भूमि से रास्ते की मांग कर सकता है।

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने मौके पर 15 फुट चालू रास्ता जो विध्यालय के बच्चों एवं आमजन द्वारा आवागमन मे प्रयोग लेना बताया है, को अप्रार्थीगण द्वारा अवरुद्ध करना बताया है। प्रार्थीगण ने खातेदारी भूमि पर पहुचने हेतु मार्ग की आवश्यकता संबंधी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए है ना ही मौके पर विघमान रास्ते को विस्तारित या चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन संबंधी अनुतोष चाहा है। प्रार्थी ने मूल रूप से बंद रास्ते के अवरोध को हटवाने संबंधी अनुतोष चाहा गया है। पूर्व मे विधमान रास्ते को खोलने एवं अवरुद्ध हटाने का अनुतोष प्राप्त करने हेतु ***राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-मार्ग अथवा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार*** के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे मांगा गया मूल अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत विधिसम्मत देय नहीं हैं, अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-2-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी

Scanned with CamScanner